संख्या– 120/2019/2290/छप्पन-2019-31/2016

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 26 दिसम्बर, 2019

विषय: जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में 'नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट' की स्थापना हेतु अर्जित भूमि से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-543/ना0उ0नि0/2019 दिनांक 29 नवम्बर, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में 'नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट' की स्थापना हेतु अर्जित भूमि से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन हेतु रू0 1,33,78,38,148/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में 'नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट' की स्थापना हेतु अर्जित भूमि से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के अनुसार परियोजना से प्रभावित परिवारों तथा विस्थापित परिवारों हेतु पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन के अन्तर्गत अनुमानित लागत धनराशि रू0 894.53 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 28 मई, 2019 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया। मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या-42/2019/672/छप्पन-2019-31/2016 दिनांक 26 मार्च, 2019 द्वारा रू0 2,75,00,00,000/- एवं शासनादेश संख्या-73/2019/ 1576/छप्पन-2019-31/2016 दिनांक 28 अगस्त, 2019 द्वारा रू0 4,85,74,61,852/- अर्थात् कुल रू0 7,60,74,61,852/- की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी हैं तथा रू0 1,33,78,38,148/ (रूपए एक अरब तैंतीस करोड़ अठहत्तर लाख अड़तीस हजार एक सौ अड़तालीस मात्र) की धनराशि अवमुक्त करने हेतु अवशेष है।

3- शासनादेश संख्या-114/2019/2101(2)/छप्पन -2019-93/18 दिनांक 22 नवम्बर, 2019 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना24-वृहत्त निर्माण कार्य'' के मद में रू0 13011.30 लाख की धन व्यवस्था पुनर्विनियोजन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। इस मद में रू0 3,67,08,220/- की धनराशि पूर्व से उपलब्ध है। इस प्रकार प्रश्नगत मद में कुल रू0 1,33,78,38,220/- की धनराशि उपलब्ध है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- अत: मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में 'नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट' की स्थापना हेतु अर्जित भूमि से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन हेतु अवशेष धनराशि रू0 1,33,78,38,148/- (रूपए एक अरब तैंतीस करोड़ अठहत्तर लाख अड़तीस हजार एक सौ अड़तालीस मात्र) की चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(3) कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर और निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोग नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु अर्जित भूमि से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन हेतु किया जाएगा।

(4) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 में नहीं रखा जाएग।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 1,33,78,38,148/- (रूपए एक अरब तैंतीस करोड़ अठहत्तर लाख अड़तीस हजार एक सौ अड़तालीस मात्र) आहरित कर तत्काल कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निर्वतन पर रखी जायेगी तथा कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर यथावश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

6- कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को यथासमय सूचित किया जाएगा।

7- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक ''5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना-24-वृहत्त निर्माण कार्य'' से वहन किया जाएगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- शासनादेश संख्या- 42/2019/672/छप्पन-2019-31/2016 दिनांक 26 मार्च, 2019 में विहित शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

9- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रदत्त प्राधिकार के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

संख्या- 120/2019/2290(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- अध्यक्ष, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
4- मण्डलायुक्त, मेरठ।
5- कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर।
6- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
8- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
9- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
11- विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13
13- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
14- समीक्षा अधिकारी (बजट)।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।